राजकीय ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 6( )2018 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं–01370 / 6180 दिनांक : 18/10/23
निमित्त

महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था,
आर.ए.सी. एवं राज्य आपदा प्रतिसाद बल
(एस.डी.आर.एफ.) राजस्थान।

विषय :– विधानसभा चुनाव 2023 हेतु फारेस्ट गार्ड उपलब्ध करने बाबत।
सन्दर्भ :– आपका का पत्र क्रमांक 1588 दिनांक 12.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि –

1. माननीय चुनाव आयोग भारत सरकार के प्रपत्र क्रमांक एफ 437 / 6 / 2013 / 588 दिनांक 20.09.2013 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारणों में पदस्थापित समस्त श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों / वाहनों को चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों से मुक्त किया गया है।

2. इसी प्रकार माननीय चुनाव आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.08.2023 के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 8 (2 (20) निर्वा. / 2023 / 3840 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा राजस्थान के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को – Territorial Staff of Forest Department - द्वारा निवर्हन किए गए कर्तव्यों / सेवाओं की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के निर्देश दिये गये है।

3. वर्तमान में विभाग में वनरक्षक के स्वीकृत पदों की तुलना में बहुत कम संख्या में वनरक्षक कार्यरत होने के फलस्वरूप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के द्वारा 2646 वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

अतः उपरोक्त अंकित माननीय चुनाव आयोग के दोनों आदेशों की अनुपालना में, आपके संदर्भित पत्र द्वारा वांछित कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Banerjee
Designation: Prin[illegible] Chief
Conservator [illegible]st
Date: 2023.10.[illegible]3:16:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4932343